2019 का विधेयक संख्यांक 105

[दि पेमेन्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टु द फेमिलीज़ ऑफ मार्टियर्स,
बिल, 2019 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता का संदाय विधेयक, 2019

शहीदों के आश्रितों को दो करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुग्रह मानदेय सहित वित्तीय सहायता के संदाय पर निगरानी रखने, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और आवास भत्ता, विद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में पांच प्रतिशत तक आरक्षण, सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए अन्य आवश्यक कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता का संदाय अधिनियम, 2019 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''वार्षिक रिपोर्ट'' से प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष में लिए गए कल्याणकारी कार्यकलापों का विवरण और निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों के बारे में विवरण देते हुए एक रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से धारा 3 के अधीन स्थापित वित्तीय सहायता संदाय प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''आश्रितों'' में भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चे शामिल हैं;

(घ) ''भारतीय सशस्त्र बल'' से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक अभिप्रेत है;

(ङ) ''शहीद'' से अभिप्रेत है भारतीय सशस्त्र बल में सेवारत व्यक्ति, जिसकी मृत्यु अपने कर्तव्य के पालन के दौरान हुई है और इसमें विनिर्दिष्ट ऊंचाई वाले स्थानों या दुर्गम सीमावर्ती पोस्ट में प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण होने वाली मृत्यु शामिल है; और

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

वित्तीय सहायता संदाय प्राधिकरण का गठन।

3. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे वित्तीय सहायता संदाय प्राधिकरण कहा जाएगा।

(*2*) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय-पदेन अध्यक्ष; और

(ख) केन्द्रीय रक्षा तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के सचिव—पदेन सदस्य;

(*3*) केन्द्रीय सरकार उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति करेगी जो वह इस प्राधिकरण के सुचारू कार्यकरण हेतु आवश्यक समझे।

(*4*) इस प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद को संदेय वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

बैठक।

4. (*1*) प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्य के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी जैसाकि विहित किया जाए।

(*2*) सदस्यों द्वारा बैठक में शामिल होने के लिए होने वाले व्यय का वहन उनके संबंधित नियंत्रणकारी प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण के कृत्य।

5. (*1*) प्राधिकरण अपने गठन से एक वर्ष के भीतर, भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के कल्याण के लिए एक व्यापक नीति तैयार करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता के संदाय के लिए आवश्यक हैं।

(*2*) उपधारा (*1*) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण,—

(क) अपने गठन के एक वर्ष के भीतर, भारत सरकार द्वारा शहीदों के आश्रितों को दिए गए विभिन्न अनुदानों और भत्तों, उनके वास्तविक कार्यान्वयन, परिवारों को मिलने वाले लाभ और ऐसे अनुदानों के लाभार्थियों की संख्या के संबंध में विस्तृत आंकड़े संग्रहीत करने के लिए एक आधारभूत अध्ययन करेगा;

(ख) शहीदों के आश्रितों को व्यापक प्रतिकर प्रदान करने के लिए ढांचा तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा, जिसके अंतर्गत आते हैं,—

(*i*) शहीदों के आश्रितों को, मुद्रा स्फीति आधारित दो करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुग्रही मानदेय का संदाय;

(*ii*) शहीद की हकदारी के अनुसार आश्रितों को चिकित्सा, शिक्षा और आवासन हेतु भत्तों और अनुदानों का संदाय;

(*iii*) आश्रितों को राजसहायता प्राप्त ब्याज दर पर शिक्षा और विवाह ऋण।

(ग) शहीदों के आश्रितों के हितों की सभी प्रकार के जोखिमों और अनिश्चितताओं से सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, जिसमें शामिल हैं—

(*i*) शहीदों के सभी आश्रितों हेतु संपूर्ण चिकित्सा बीमा प्रदान करना;

(*ii*) जीवन बीमा निगम के माध्यम से शहीद की विधवा अथवा अगले आश्रित के नाम जीवन बीमा योजना प्रदान करना; और

(*iii*) परिवार के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, जब अपेक्षित हो, मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था करना।

(घ) शहीद के आश्रित की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(*i*) सरकार के स्वामित्व वाले विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में शहीदों के बच्चों के लिए पाँच प्रतिशत सीट आरक्षित करना; और

(*ii*) सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में शहीदों के अर्ह आश्रितों के लिए रोजगार में पाँच प्रतिशत आरक्षण।

(ङ) शहीदों के आश्रितों के समग्र कल्याण में सुधार हेतु केन्द्रीय सरकार के लिए दिशानिर्देश तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(*i*) शहीदों के आश्रितों को आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास;

(*ii*) भारत के अंदर नि:शुल्क वार्षिक पारिवारिक अवकाश और सरकारी अतिथि गृहों में नि:शुल्क आवास;

(*iii*) स्मारकों, संग्रहालयों के भ्रमण के लिए नि:शुल्क पास; और

(*iv*) आश्रितों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए नि:शुल्क पास।

(च) पुनर्विवाह के पश्चात् भी शहीद की विधवा को इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(*i*) इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रितों को उपलब्ध विभिन्न प्रतिकरों और अनुदानों को आश्रितों के समक्ष स्पष्ट करने के लिए संबंधित जिलाधीश को निर्देश देना;

(*ii*) संबंधित कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में आश्रितों की सहायता के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

(*iii*) जिलाधीश के लिए आश्रितों के समग्र खुशहाली के बारे में एक वर्ष में कम से कम तीन बार जानकारी लेना अनिवार्य बनाया जाना; और

(*iv*) आश्रितों की शिकायत निवारण हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन और कॉल सेन्टर की व्यवस्था।

(ज) शहीद सैनिकों के बलिदान के स्मरण और सम्मान के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन अर्थात् 23 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;

(झ) ऐसे अन्य कार्य जो उसे इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर सौंपे जाएं।

वार्षिक रिपोर्ट।

6. (*1*) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में इसके द्वारा आरंभ की गई स्कीमों सहित इसके कार्यों का सारांश होगा और वार्षिक रिपोर्ट में प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं का ब्यौरा होगा।

(*2*) केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट के प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां प्रदान किया जाना।

7. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा बनाई गई विधिवत् विनियोजन के पश्चात्, समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

8. इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई के उत्पन्न होने पर केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश कर सकेगी या ऐसा निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

नियम बनाने की शक्ति।

9. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय सशस्त्र बलों अर्थात् भारतीय थलसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिक कठिन क्षेत्रों, चुनौतीपूर्ण कार्य अवस्थाओं में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमाओं पर वीरतापूर्वक लड़ते हैं। सशस्त्र बल नागरिकों को सुरक्षित और निश्चिन्त वातावरण देने के लिए अपना जीवन जोखिम में डालते हैं और स्वयं को खतरनाक परिस्थितियों में डालते हैं। जब देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कोई सैनिक शहीद होता है, तो ये मातृभूमि के लिए सर्वोपरि बलिदान होता है। सरकार का कम से कम इतना दायित्व बनता है कि ऐसे शहीदों (ऐसे सैनिक जो कर्तव्य निर्वहन करते हुए, या तो युद्ध में मारे गए या उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई) के परिवारों (पत्नी/पति, बच्चे और माता-पिता) को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए।

शहीदों के परिवारों को दो करोड़ रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि, जो मुद्रास्फीति सूचकांक से संबद्ध होगी देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, परिवार को पेंशन और अन्य लाभ (जो सैनिक को जीवित रहने पर मिलते) पाने का हक है। सैनिक जिस चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, आवास सुविधा का हकदार है वे उसके परिवार को मिलेंगे।

शहीद के परिवार को किसी भी जोखिम और अनिश्चितता से बचाने के लिए, उनको पूर्ण चिकित्सा बीमा कवरेज देना भी अपेक्षित है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, शहीद की विधवा के नाम पर जीवन बीमा कवर देना भी आवश्यक है। शहीद की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी विधवा और परिवार के अन्य सदस्यों की बेहतर मानसिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श देना भी आवश्यक है। शहीदों के बच्चों को सभी शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत सीट का आरक्षण देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच बनाना और शहीदों के पात्र आश्रितों हेतु सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार में आरक्षण देना भी आवश्यक है।

शहीदों के सम्मान के प्रतीक रूप में उनके आश्रितों को विभिन्न लाभों के अलावा, आजीवन मुफ्त रेलवे पास, भारत में सरकारी अतिथि ग्रहों में मुफ्त आवास सहित मुफ्त वार्षिक अवकाश, स्मारकों और संग्रहालयों को देखने के लिए मुफ्त पास और गणतंत्र दिवस परेड के पास भी दिए जाएं।

साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को शहीदों के आश्रितों को उन्हें प्राप्त हो सकने वाले प्रतिकरों और अनुदानों के संबंध में बताने का निदेश देना और उनके लिए समर्पित हैल्पलाइन तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करना भी आवश्यक है।

अंत में, शहीद सैनिकों के बलिदान को स्मरण करने और उनका सम्मान करने के लिए श्री नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस अर्थात् 23 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में घोषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस विधेयक का प्रयास है कि शहीदों के परिवारों को उनके समग्र विकास के लिए बेहतर चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की मूलभूत सेवाएं मिल सकें। इस प्रकार इसका उद्देश्य इनकी आजीविका सुरक्षित करना, अनिश्चितताओं के प्रति बीमा उपलब्ध कराना और इनको एक सम्मानित जीवन यापन करने में समर्थ बनाना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
5 जून, 2019

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 में वित्तीय सहायता संदाय प्राधिकरण का गठन किए जाने और इसके कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने का उपबंध हैं। खंड 7 में केन्द्रीय सरकार बाध्य है कि वह विधेयक के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराए। अत: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि में से लगभग पांच सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने की संभावना है।

इस पर लगभग एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी होने की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 9 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

शहीदों के आश्रितों को दो करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुग्रह मानदेय सहित वित्तीय सहायता के संदाय पर निगरानी रखने, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और आवास भत्ता, विद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में पांच प्रतिशत तक आरक्षण, सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए अन्य आवश्यक कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—913LS(S3)—03-07-2019.